

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 2003—2004

Dated 9-10-2004

श्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2004

सा.का.नि. 345.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, (संशोधन) 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, (संशोधन) 2003 है,—

(i) उपाबंध (1 क) में,—

(क) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के स्थान पर निम्नलिखिते क्रम संख्यांक प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :

1	2	3	4	5	6	7	8
"3 उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना		16	1	1	1	1	20"

(ख) अंतिम संभ में, पदों की कुल संख्या और तत्स्थानी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"पदों की कुल संख्या		151	11	9	40	3	214"
"28 ट्रैक्टर चालन		1	कृषि इंजीनियरी	मैकेनिक कृषि मशीनरी/मैकेनिक ट्रैक्टर		ट्रैक्टर चालन	

[सं. डी.जी.ई.टी.-ए.-12034/1/2004-टी.ए.-II]

एन. लंका, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100, तारीख 19 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2004

G.S.R. 345.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Labour, Directorate of Employment and Training (Group 'C' Technical Posts) Recruitment Rules, 2003 namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training (Group 'C' Technical Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training (Group 'C' Technical Posts) Recruitment Rules, 2003,—

(i) in Annexure (IA),

(a) for serial number 3, relating to ATI, Ludhiana and the entries thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7	8
"3 ATI, Ludhiana		16	1	1	1	1	20"

(b) In the last column relating to Total No. of posts and the corresponding entries against it, the following shall be substituted, namely :—

"Total No. of Posts	151	11	9	40	3	214"
---------------------	-----	----	---	----	---	------

(ii) in Annexure (IB), after serial number 27, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"28 Tractor Driving	1	Agricultural Engineering		Mechanic Agricultural machinery/ Tractor Driving". Mechanic Tractor	

[No. DGET-A-12034/1/2004-TA-II]

N. LANKA, Dy. Secy.

Note—The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), *vide* notification No. GSR 100, dated 19th February, 2003.

राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् 24/2005
24/8/2005

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1151—1153

Dated 3-9-2005

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

(अधिसूचना)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 298.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. श्रम मंत्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2003 की अनुसूची में,—
(i) स्तंभ 2 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—
“221* (2005)”

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है;

(ii) स्तंभ 8 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :

“आवश्यक :

अर्हता के पश्चात् दो वर्ष के अनुभव सहित, किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से सुसंगत क्षेत्र में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा;

अर्हता के पश्चात् चार वर्ष के अनुभव सहित, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी बी टी) से सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एन टी सी) और शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र; या

अर्हता के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी बी टी) से सुसंगत व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एन टी सी) सहित; या

अर्हता के पश्चात् तीन वर्ष के अनुभव सहित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सुसंगत क्षेत्र में, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र और शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र; या

अर्हता के पश्चात् दो वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में स्नातक डिग्री और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी बी टी) से सुसंगत क्षेत्र व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एन ए सी)।

टिप्पण 1 : इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के लिए इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की शाखा की व्यवसायवार अपेक्षा या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एन टी सी)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एन ए सी) के लिए व्यवसाय की व्यवसायवार अपेक्षा और अनुभव का क्षेत्र उपार्थ (1x) में व्यावसायिक विनियोगिता होगा।

टिप्पण 2 : राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी उच्चतर राष्ट्रीय तकनीकी प्रमाणपत्र, सुसंगत व्यवसाय के लिए, अर्हता के पश्चात् एक वर्ष के अनुभव के समतुल्य समझा जाएगा।

टिप्पण 3 : इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/किसी भी क्षेत्र में स्नातक डिग्री के धारकों की दशा में और राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किसी सुसंगत क्षेत्र में शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाणपत्र को, अर्हता के पश्चात् एक वर्ष के अनुभव के समतुल्य समझा जाएगा।”

(iii) उपार्बंध (1क) में,—

- (क) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, सुवर्हदा से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, स्तंभ 3 और 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "24" और "26" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
- (ख) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना से संबंधित क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तंभ 3 और 8 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "20" और "24" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
- (ग) उन्नत प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद से संबंधित क्रम संख्यांक 6 के सामने, स्तंभ 3 और 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "13" और "16" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;
- (घ) क्रम संख्यांक 25 के पश्चात्, कुल पदों की संख्या के सामने, स्तंभ 3 और 8 में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "158" और "221" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

(iv) उपार्बंध (1ख) में, स्तंभ 3 में क्रम संख्यांक 8, 9 और 14 के सामने "19", "18" और "6" अंकों के स्थान पर क्रमशः "21", "21" और "7" अंकों को रखा जाएगा।

[सं. डी जी ईटी-ए-12018/4/2004-टी ए-II]

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

पाद टिप्पणि : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 100 तारीख 19 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 345 तारीख 30 सितंबर, 2004 द्वारा संशोधित किए गए थे।

(Directorate General of Employment and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2005

G.S.R. 298.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the erstwhile Ministry of Labour, Directorate of Employment and Training (Group 'C' Technical Posts) Recruitment Rules, 2003 namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Labour and Employment, Directorate General of Employment and Training (Group 'C' Technical Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the schedule to the Ministry of Labour, Directorate General of Employment and Training (Group 'C' Technical Posts) Recruitment Rules, 2003,—

(i) in column 2, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"221*(2005)"

*subject to variation dependent on workload;

(ii) in column 8, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :—

"Essential :

Diploma in Engineering or Technology in the relevant field from a recognized Board or Institute with two years post-qualification experience;

or

National Trade Certificate (NTC) and Craft Instructor Certificate/National Craft Instructor Certificate in the relevant trade from National Council for Vocational Training (NCVT) with four years post-qualification experience;

or

Bachelor's degree in any field from a recognised University or Institute and with National Trade Certificate (NTC) from National Council for Vocational Training (NCVT) in relevant trade with three years post-qualification experience.

or

National Apprenticeship Certificate and Craft Instructor Certificate/National Craft Instructor Certificate in the relevant trade from National Council for Vocational Training with three years post qualification experience;

OR

Bachelor's degree in any field from a recognized University or Institute and National Apprenticeship Certificate (NAC) in relevant trade from National Council for Vocational Training (NCVT) with two years post-qualification experience.

Note 1 : The trade wise requirement of Branch of Engineering or Technology for Diploma in Engineering Technology or of trade for National Trade Certificate (NTC)/National Apprenticeship Certificate (NAC) and area of experience shall be as specified in Annexure (IB).

Note 2 : Higher National Technician Certificate issued by National Council of Vocational Training shall be treated as equivalent to one-year post qualification experience for the relevant trade.

Note 3 : In case of holders of Diploma in Engineering or Technology/Bachelor degree in any field and the Craft Instructor Certificate/ National Craft Instructor Certificat from National Council for Vocational Training in the relevant trade shall be treated as equivalent to one-year post qualification experience."

(iii) in Annexure-(IA),—

- (a) against serial number 1 relating to ATI Mumbai, in columns 3 and 8, for existing entries, the entries "24" and "26" shall be respectively be substituted;
 - (b) against serial number 3 relating to ATI Ludhiana, in columns 3 and 8, for the existing entries, the entries "20" and "24" shall respectively be substituted;
 - (c) against serial number 6 relating to ATI Hyderabad, in columns 3 and 8, for the existing entries, the entries "13" and "16" shall respectively be substituted;
 - (d) after serial number 25, against total number of posts, in columns 3 and 8, for the existing entries, the entries "158" and "221" shall respectively be substituted.
- (iv) in Annexure-(IB), in column 3 against serial numbers 8, 9 and 14, for the figures "19", "18" and "6", the figures "21", "21" and "7" shall respectively be substituted.

[No. DGET-A-12018/4/2004-TA-II]

M.S. AZAD, Under Secy.

Foot Note : The original rules were published in the Gazette of India vide notification number GSR 100 dated 19th February, 2003 and amended vide notification number GSR 345 dated 30th September, 2004.

